| क्र | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 9/12/18 | वकुलाम उप०। फारी सम्मन बाद वाकिल। अभ वाकिल प्राप्त नहीं होते हैं इन्हाट बोर्ड पत्रावली दिनांक 25/3/19 को पेश हो। SDO | |
| 25/3/19 | वकुलाम उप०। वकील वादी के प्रा०प० 022 CR(W)(S) CRC का पेश किए, सा० मि० किए गए। आज 500 सा० दोनों पक्ष खड़े हैं पत्रावली दिनांक 24/6/19 को पेश हो। | |
| 24/6/19 | वकील वादी उप०। वकील वादी के प्रा०प० 022 R 4 CR/C का वादिन किए कि प्रस्तुत अभाव के प्रकरण के प्रतिवा० 3 रामसिंह की मृत्यु ग्राम बिरलाई के दिनांक 26/12/18 को हुई। प्रतिवा० 3 के विधिक वारिसान को बतौर प्रतिवादी पश्चात संशोधित किये जाने का आदेश करावें। प्रार्थना प्रपत्र पर शपथपत्र का गठन कराया। प्रार्थना प्रतिवादी सं 3 के अभिलेख किए गए। वास्तुतः प्रतिवादी सं 3 दिनांक 26/12/18 को ग्राम बिरलाई के रहते हैं। वकील वादी के उक्त विधिक वारिसान प्रपत्र के आधार किये हैं। जिन्हें बतौर प्रतिवादी पश्चात संशोधित किये जाते हैं। वकील वादी संशोधित संशोधित एवं वलगक पेश करें। पत्रावली दिनांक 30/9/19 को पेश हो। SDO | |
| 24/9/19 | श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के आदेश पत्रांक [illegible]/2018/626 दिनांक [illegible].04.2018 की अनुपालना में यह प्रकरण सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जैतारण को स्थानान्तरित किया जाता है पत्रावली नम्बर से काम हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण | |
| 24/9/19 | श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के आदेश पत्रांक [illegible] 626 की अनुपालना में यह प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण से प्राप्त हुआ है। जो नये रजिस्टर होकर उभय पक्ष को सूचना हो। पत्रावली वास्ते तलबाना दि 30-9-19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 17:11:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner